राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1390 / 2024

कुलदीप सिंह मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. चैयरमेन, राजस्व बोर्ड, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.03.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2023—24 की रिक्ति के विरूद्ध भू—अभिलेख निरीक्षक (कार्यालय कानूनगो) के पद पदोन्नति दी जाकर पदस्थापन अतिरिक्त कार्यालय कानूनगो तहसील सरवाड़, जिला केकड़ी में किया गया। जहां पर अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थ की पत्नी भी राजकीय सेवा भू—अभिलेख निरीक्षक के पद पर गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.10.2023 एवं 04.01.2024 (अनुलग्नक—1) को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर परिपत्र दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अभ्यावेदन त्वरित गति से निस्तारित करने के संबंध में जारी किया गया है। जिसके द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया गया है तथा राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति—पत्नी को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस—पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी के गृह जिले एवं आस—पास के जिलों सीकर, नीमकाथाना, कोटपूतली, जयपुर इत्यादि जिलों में आज भी कई रिक्त स्थान है जिन पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी का सीकर, कोटपूतली, नीमकाथाना, जयपुर जिलों में कहीं भी पदस्थापन करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी के दो पुत्रियां है जो चौमू अध्ययनरत है एवं अपीलार्थी के माता—पिता वृद्ध है, जो बीमार रहते है। ऐसे में उनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील

अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 09.10.2023 एवं 04.01.2024 को निस्तारित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन अभ्यावेदन में वर्णित स्थानों पर कहीं भी पदस्थापित कर वेतन–भत्तों का भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदस्थापन तहसील सरवाड़ जिला केकड़ी में किया गया। उक्त आदेश पदोन्नति पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य